न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज0

बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस0)

मु.नं. 28/21 जी.सी.एम.एस. 2021/00065 दिनांक 07.04.2021

1. भरतराज पुत्र हरपाल जाति मीना निवासी पारछेरा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।

—वादी—

बनाम

1. तुलसीराम पुत्र शिवनारायण जाति मीना निवासी पारछेरा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।
2. श्रीमति गंदोंडी पत्नी हेमराज मीना निवासी बंजारी तहसील चौथ का बरवाडा तहसील सवाई माधोपुर।
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

— प्रतिवादी—

वाद अन्तर्गत धारा 53,88 खाता विभाजन

उपस्थित —

वादी की ओर से एडवोकेट श्री सुरेश गौचर

प्रतिवादी नबंर 01 व 02 की ओर से एडवोकेट श्री महावीर मेरोठा।

प्रतिवादी 03 राजस्थान सरकार की ओर से— तहसीलदार कनवास।

निर्णय

वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी नबंर 01 व 02 के संयुक्त खाते की भूमि ग्राम चकजगदीशपुरा पटवार हल्का जालिमपुरा तहसील कनवास में जमाबंदी सम्वत 2076—2079 के खाता संख्या 70 में खसरा नबंर 467/532 की रकबा 0.16 है0, खसरा नबंर 468 की रकबा 2.15 है0, खसरा नबंर 469 की रकबा 0.12 है0, कुल खसरा किता 03 की रकबा 2.43 है0, आराजी स्थित है। जिसमें वादी का 4/15 हिस्सा , प्रतिवादी नबंर 01 तुलसीराम का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी नबंर 02 गंदोडी बाई का 17/30 हिस्सा निहित है। वादी व प्रतिवादीगण आपसी सहमति से मौके पर आराजी का विभाजन कर रखा है, तथा सभी पक्षकार अपने —अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं। वादी भरतराज खसरा नबंर 468 की 0.53 है0, पूर्वी तरफ की व 469 की 0.12 है0, सम्पूर्ण रकबा कुल 02 किता क़ी 0.65 पर काबिज काश्त है। तथा प्रतिवादी नबंर 01 तुलसीराम खसरा नबंर 468 की 0.41 है0 मध्य की आराजी पर काबिज काश्त है। तथा प्रतिवादी नबंर 02 गंदोडीबाई खसरा नबंर 468/535 की 0.16 है0, सम्पूर्ण रकबा एवं खसरा नबंर 468 की 1.21 है0, पश्चिमी तरफ की कुल 02 किता 1.37 है0, पर काबिज काश्त है। हमारे मध्य विभाजन का कोई विवाद नहीं है, परन्तु ट्यूबेल खुदवाने व बिजली

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

कनेक्शन लेने में खाता पृथक–पृथक न होने से समस्या आती है। इसलिये वाद प्रस्तुत कर खाता विभाजन कराने हेतु निवेदन किया गया।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर तलवी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी नबंर 01 व 02 की ओर से श्री महावीर मेरोठा एडवोकेट द्वारा ईकबालिय जवाब दावा मय वकालत नामा दिनांक 23.03.2021 को प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी नबंर 03 तहसीलदार कनवास द्वारा दिनांक 30.03.21 को पत्रावली की आदेशिका पर वाद पत्र स्वीकार किये जाने मे कोई आपत्ति जाहिर न की गई । ऐसी स्थिति में वाद पत्र में तनकीयात बनाने की आवश्यकता नहीं होने से बहस वादी व प्रतिवादीगण सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जवाब दावा , नकल जमाबंदी, व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिससे हम वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि वादी व प्रतिवादी नबंर 01 व 02 के संयुक्त खाते की भूमि ग्राम चकजगदीशपुरा पटवार हल्का जालिमपुरा तहसील कनवास में जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 70 में खसरा नबंर 467 / 532 की रकबा 0.16 है0, खसरा नबंर 468 की रकबा 2.15 है0, खसरा नबंर 469 की रकबा 0.12 है0, कुल खसरा किता 03 की रकबा 2.43 है0, आराजी के विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की जाती है, वादी भरतराज पुत्र हरपाल जाति मीना निवासी पारछेरा के पृथक खाते में 468 की 0.53 है0, पूर्वी तरफ की व 469 की 0.12 है0, सम्पूर्ण रकबा कुल 02 किता की 0.65 है0 आराजी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा प्रतिवादी नबंर 01 तुलसीराम पुत्र श्रीनारायण जाति मीना निवासी पाछेरा के पृथक खाते में खसरा नबंर 468 की 0.41 है0 मध्य की आराजी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा प्रतिवादी नबंर 02 गंदोड़ीबाई पत्नि हेमराज जाति मीना निवासी बंजारी के पृथक खाते में खसरा नबंर 468 / 535 की 0.16 है0, सम्पूर्ण रकबा एवं खसरा नबंर 468 की 1.21 है0, पश्चिमी तरफ की कुल 02 किता 1.37 है0, आराजी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजेश डागा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

न्यायालय ब इजलास राजेश डागा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

मु.नं. 28 / 21 जी.सी.एम.एस. 2021 / 00065 दिनांक 07.04.2021

1. भरतराज पुत्र हरपाल जाति मीना निवासी पारछेरा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।

—वादी—

बनाम

2. तुलसीराम पुत्र शिवनारायण जाति मीना निवासी पारछेरा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।
3. श्रीमति गंदोंडी पत्नी हेमराज मीना निवासी बंजारी तहसील चौथ का बरवाडा तहसील सवाई माधोपुर।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

— प्रतिवादी—

वाद अन्तर्गत धारा 53,88 खाता विभाजन

उपस्थित —

वादी की ओर से एडवोकेट श्री सुरेश गौचर
प्रतिवादी नबंर 01 व 02 की ओर से एडवोकेट श्री महावीर मेरोठा।
प्रतिवादी 03 राजस्थान सरकार की ओर से— तहसीलदार कनवास।

मुकदमा नं. 28 / 21 सन् 2021 तारीख फैसला 07.04.2021 **न्यायालय ब इजलास राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी एडवोकेट श्री सुरेश गौचर मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी नबंर 01 व 02 की ओर से एडवोकेट श्री महावीर मेरोठा तथा **राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अंतिम डिक्री जारी की जाती है कि वादी व प्रतिवादी नबंर 01 व 02 के संयुक्त खाते की भूमि ग्राम चकजगदीशपुरा पटवार हल्का जालिमपुरा तहसील कनवास में जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 70 में खसरा नबंर 467 / 532 की रकबा 0.16 है0, खसरा नबंर 468 की रकबा 2.15 है0, खसरा नबंर 469 की रकबा 0.12 है0, कुल खसरा किता 03 की रकबा 2.43 है0, आराजी के विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की जाती है, वादी भरतराज पुत्र हरपाल जाति मीना निवासी पारछेरा के पृथक खाते में 468 की 0.53 है0, पूर्वी तरफ की व 469 की 0.12 है0, सम्पूर्ण रकबा कुल 02 किता की 0.65 है0 आराजी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा प्रतिवादी नबंर 01 तुलसीराम पुत्र श्रीनारायण जाति मीना निवासी पाछेरा के पृथक खाते में खसरा नबंर 468 की 0.41 है0 मध्य

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

की आराजी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा प्रतिवादी नबंर 02 गंदोडीबाई पत्नि हेमराज जाति मीना निवासी बंजारी के पृथक खाते में खसरा नबंर 468/535 की 0.16 है0, सम्पूर्ण रकबा एवं खसरा नबंर 468 की 1.21 है0, पश्चिमी तरफ की कुल 02 किता 1.37 है0, आराजी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत . .. X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **07.04.2021** माह **अप्रेल 2021** को जारी की गई।

मोहर ....

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

मुद्दई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा ...	------NIL------		स्टाम्प वकालतनामा ...	------NIL------	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)